घर बैठे 30 ऑनलाइन सेवाओं की सौगात

लाइसेंस, एनओसी, फीस जमा करने की मिलेगी सुविधा, कारोबारी सुगमता के लिए हर सेवा तय समय सीमा में

महेंद्र तिवारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार इस माह के अंत तक करीब 30 तरह की सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। इससे आम लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और समय व पैसे की अनावश्यक बर्बादी से बच सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020-21) से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन कर तय समयसीमा में उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हर काम को समयसीमा तय कर जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की जानी है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देशित किया है कि इन सेवाओं की सुविधा दी गई समयसीमा में उपलब्ध कराने में किसी तरह की हीलाहवाली स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा न होने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित सेवाओं के ऑनलाइन होने से भूमि विवाद में कमी आएगी। लाइसेंस व एनओसी सहजता से घर बैठे मिल सकेगी। सरकारी विभागों की लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा।

सहकारिता विभाग

सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित कर इसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है। इस प्रणाली को लाइव करने के साथ ही समयसीमा को अंतिम रूप देकर लोक सेवा प्रबंधन विभाग से जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अग्निशमन विभाग

विस्फोटक निर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तथा पटाखों के विक्रय के लिए लाइसेंस की सेवाओं को ऑनलाइन करने को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य सचिव ने महानिदेशक फायर सर्विस को दोनों सेवाओं के लिए टाइम लाइन 20 नवंबर तय की है।

खाद्य एवं रसद विभाग

पेट्रोलियम, डीजल और नेफ्था विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए एनओसी तथा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकेगा। नवीनीकरण भी ऑनलाइन होगा। इसके लिए समयसीमा तय कर दी गई है। जल्द ही इसे अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

सूचना विभाग

फिल्म शूटिंग का लाइसेंस भी सरकार ऑनलाइन देगी। इसके लिए यूपी डेस्को को वर्कआर्डर दिया गया है। फिल्म बंधु और यूपी डेस्को को 20 नवंबर तक पोर्टल विकसित करने की समयसीमा दी गई है। फिल्म बंधु ने बताया है कि फिल्म शूटिंग लाइसेंस की समयसीमा अधिसूचित करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

जनहित गारंटी अधिनियम का हिस्सा होगी समयसीमा

राजस्व विभाग

- आम लोगों के लिए रिकॉर्ड्स आफ राइट की पहल की है। इसके लिए समस्त भू-अभिलेख कार्यालयों में 20 वर्ष की अवधि के रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है। पहले चरण में जालौन, महोबा व शामली जिलों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा। इसके लिए 20 नवंबर की समय सीमा तय की गई है।
- भूमि की माप व सीमांकन के लिए भी ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। आवेदक के लिए लॉग-इन सुविधा व ऑनलाइन शुल्क भुगतान विकल्प तैयार किया जा रहा है। अब प्रशासनिक तथा न्यायिक उद्देश्य के लिए अलग से भूमि मापन व सीमांकन प्रक्रिया पर विचार होगा। इससे दोनों पक्ष पहले से ही भूमि मापन व सीमांकन पर सहमत हो सकेंगे। वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- नाम परिवर्तन (म्यूटेशन/दाखिल खारिज) की प्रारंभिक प्रक्रिया को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाएगा। रजिस्ट्री पंजीकृत होते ही नाम परिवर्तन की सूचना भेज दी जाएगी। इसके लिए माड्यूल तथा सार्वजनिक डोमेन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित हो गया है। इसे लाइव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों में यह सुविधा विकसित की जा रही है।
- भू-संपत्ति मानचित्र सहित एक पोर्टल विकसित होगा। इससे सभी भूमि, संपत्ति से संबंधित अभिलेख को जोड़ा जाएगा। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन व राजस्व विभाग मिलकर यह ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराएंगे।

नगर विकास

- विज्ञापन के लिए साइनेज लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।
- केंद्रीय भूजल प्राधिकरण/प्रासंगिक प्राधिकारी से जल निष्कर्षण के लिए एनओसी, पानी की अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित हो गया है।
- खाद्य व्यवसाय के लाइसेंस के लिए नगर पालिका अथवा अन्य स्थानीय निकाय से एनओसी लिया जाता है। नगर विकास विभाग मांस से संबंधित उत्पादों के लिए एनओसी मॉड्यूल जल्द से जल्द विकसित कर लागू करेगा।
- सभी शहरी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट संपत्ति आईडी की व्यवस्था लागू होगी।
- ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया और संबंधित सार्वजनिक डैशबोर्ड का एकीकरण करेगा। पहले चरण में हापुड़, बस्ती और इटावा स्थानीय निकायों में रजिस्ट्री पंजीकृत होते ही म्यूटेशन प्रक्रिया की सूचना ऑनलाइन भेज दी जाएगी। नगर निगम तथा क्लास-1 नगर पालिकाओं में भी इस सिस्टम का क्रियान्वयन होगा।

न्याय विभाग

वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक विवादों के लिए ई-फाइलिंग, ई-समन व ई-भुगतान के लिए ऑनलाइन केस इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होगा। आवेदन पत्र में आवेदकों के ईमेल भी जोड़े जाएंगे ताकि यह समन संबंधित याचिकाकर्ता व प्रतिवादी को भेजा जा सके।